संख्या: 19/2015/बी-2-2973 /दस-2015-10/77

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक: 19 अक्टूबर, 2015

विषय: योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों / आगणनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शी बिन्दुओं के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्याः बी-2-2528/दस-2014- 10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 द्वारा रुपये 5.00 करोड़ तक की योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण का अधिकार प्रशासकीय विभागों को है । कतिपय प्रशासकीय विभागों में तकनीकी विशेषज्ञ तैनात न होने के कारण उन्हें, योजनाओं / परियोजनाओं के आगणनों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण में कठिनाई हो रही है । अतः ऐसे प्रशासकीय विभागों द्वारा अन्य के साथ-साथ निम्नांकित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में योजनाओं / परियोजनाओं के आगणन के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण किया जाना चाहिए -

1. प्रायोजना हेतु भूमि एवं बजट की उपलब्धता ।
2. आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित नवीनतम कुर्सी क्षेत्रफल दरों / अधिसूचित दरों (Latest plinth area rates/Latest SOR) पर किया गया है ।
3. निर्माण कार्यों हेतु, निर्माण कार्यों की लागत पर आकस्मिक व्यय अधिकतम 02 प्रतिशत तक देय होगा ।
4. लेबर सेस की धनराशि, निर्माण कार्यों की लागत का 01 प्रतिशत देय होगा ।
5. राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों व अन्य निर्माण इकाइयों / स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर धनराशि, निर्माण कार्यों की लागत में से निर्माण लागत का 05 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध धनराशि पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य होगा ।
6. राजकीय विभागों (लोक निर्माण, ग्रामीण अभियन्त्रण, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग आदि) के द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों की लागत (लागत 100) पर 6.875 प्रतिशत सेन्टेज अनुमन्य होगा ।
7. बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा ।

http://finance.up.nic.in

8. यदि प्रायोजना में साल्टपीटर, काली कपासी मिट्टी एवं पाइल स्ट्रक्चर हेतु धनराशि प्रस्तावित की गयी है तो मृदा परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा इन मदों की धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी ।
9. यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजना का मानकीकरण कराया गया है तो यह देखा जाना चाहिये कि मानकीकरण नवीनतम कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर है एवं परियोजना का गठन मानकीकरण के अनुसार किया गया है ।
10. यदि प्रायोजना में मिट्टी भराई कार्य मद में धनराशि प्रस्तावित की गयी है तो जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सदस्य के रूप में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं निर्माण एजेन्सी के प्रतिनिधि तथा सदस्य सचिव के रूप में प्रशासकीय विभाग के स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि रहेगें । तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित कन्टूर मैप एवं मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में मिट्टी भराई का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा समिति द्वारा निर्माण स्थल से मिट्टी की उपलब्धता की दूरी का उल्लेख भी समिति की रिपोर्ट में किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में मिट्टी भराई मद में प्रस्तावित धनराशि पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

2- योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण हेतु यथावश्यकता प्रशासकीय विभाग के स्तर पर एक समिति का गठन किया जा सकता है जिसमें एक सदस्य के रूप में निर्माण एजेन्सी के तकनीकी प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो अधीक्षण अभियन्ता के स्तर का हो ।

अतएव प्रशासकीय विभागों द्वारा रुपये 5.00 करोड़ तक की योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण अन्य के साथ-साथ उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए ।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 19/2015/बी-2-2973(1)/दस-2015-10/77 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद ।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।

4- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

5- वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।

6- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र., लखनऊ ।

7- निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।